DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 24 जून 2022

डीडीए को द्वारका सोसायटी में तोड़फोड़ करने से अदालत ने रोका

■ प्रमुख संवाददाता, द्वारका कोर्ट

अदालत ने द्वारका की एक सोसायटी के भीतर आरडब्ल्यूए द्वारा निर्मित एक अस्थायी ढांचे को गिराने से डीडीए को रोक दिया। अदालत ने गौर किया कि संबंधित जगह सोसायटी में रहने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी है और डिनोटिफाई होने के बाद से वह पूरा इलाका एमसीडी के कंट्रोल में आता है, डीडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं।

अडिशनल सेशन जज विपिन खर्ब ने यह रोक मामले में 7 जुलाई को अगली सुनवाई तक के लिए लगाई है। सोसायटी का नाम संस्कृति अपार्टमेंट है। यह द्वारका के सेक्टर 19-बी में बनी है। यहां रहने वाले लोगों की आरडब्ल्यूए ने अदालत का रुख किया और सोसायटी के भीतर कनेक्टेड ब्रिज से जुड़े अस्थायी ढांचे को तोड़े जाने से डीडीए को रोक जाने की मांग की। आरडब्ल्यूए डीडीएमएस की ओर से वकील करणवीर त्यागी ने यह मुकदमा दायर किया था। तथ्यों के मुताबिक, डीडीए ने संस्कृति अपार्टमेंट की दो इमारतों के बीच में एक कनेक्टेड ब्रिज का निर्माण करवाया था। आरडब्ल्यूए बनने के बाद परिसर के रखरखाव और सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों की जिम्मेदारी उसके पास आ गई। रेसिडेंट्स ने आरोप लगाया कि डीडीए ने उन्हें कोई भी कम्यूनिटी हॉल या सेंटर बनाकर नहीं दिया। इसीलिए, 2020 और 2021 में जब कोरोना महामारी फैली, तब यहां पर 150 से ज्यादा कोरोना से संक्रमण के मामले आए, लेकिन आरडब्ल्यूए उन मरीजों को आइसोलेट तक नहीं कर पाई। इसके बाद संबंधित एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिखे गए, जिन्होंने कहा कि यहां ऐसी कोई जगह तय की जाए जहां पर टीकाकरण हो सके। आरडब्ल्यूए ने ब्रिज के नीचे खाली और बेकार पड़े इलाके को कवर करने का फैसला किया। अब उस ज़गह पर वैक्सीनेशन के साथ शोक सभाएं और अंतिम संस्कार से जुड़ी गतिविधियों तक होने लगी हैं।

शालीमार बागः नए शौचालय पर 2 महीने से लटका ताला

■ एनबीटी न्यूज, शालीमार बाग

शालीमार बाग में एए और एबी ब्लॉक के बीच पार्क में शौचालय को बने हुए करीब दो महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे आम लोगों के लिए खोला नहीं गया है।

स्थानीय निवासी सत्यपाल शर्मा ने बताया कि इस पार्क में पिछले 2 महीने पहले ही टॉइलट का काम पूरा हो चुका था। पहले पानी का कनेक्शन ना होने से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब जब सारा काम पूरा हो चुका है तो इस पर ताला लटका दिया गया है। उन्होंने कहा कि डीडीए अधिकारियों से कई बार टॉइलट पर लगे ताले को खुलवाने की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है।

स्थानीय निवासी प्रवीण यादव ने बताया कि इस पार्क में रोजाना सुबह और शाम काफी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी आते हैं। ऐसे में पार्क में आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने जल्द इस टॉइलट को आम लोगों के लिए खोलने की मांग की।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI *
FRIDAY, JUNE 24, 2022

'3 suspended by LG transferred evacuee land'

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: The three Delhi government officials who were suspended by lieutenant governor Vinai Kumar Saxena on Wednesday were allegedly involved in transferring over 600 bighas of evacuee land in Narela close to Yamuna to private entities between 2015 and 2021, sources privy to the development said on Thursday.

While the LG suspended one DANICS and two ad hoc DANICS officials, who served as SDMs of Alipur at different times, he also recommended the Union ministry of home affairs the suspension of an additional district magistrate in the same case, sources added.

OFFICIAL SOURCE SAYS

The four officials gave Bhumidhari rights of the land to private entities for pecuniary benefits

"Nagender Shekhar Pati Tripathi is a selection grade officer and currently posted as an ADM. The home ministry is the competent authority to take a decision. The LG has forwarded the matter to the ministry," a source said.

Suspended official Harshit Jain was posted as SDM Vasant Vihar, Devendra Sharma as Vivek Vihar SDM while Prakash Chand Thakur was serving as deputy secretary in the CM's office. The LG has initiated disciplinary proceedings against them.

As SDM of Alipur subdivision, these officials allegedly passed orders giving away ownership of evacuee land vested with the government to private entities. While Sharma was posted in Alipur in 2015, Thakur allegedly transferred the land in June 2019, Tripathi in November 2019 and Jain was posted there in June 2021, said sources.

"The four officials gave Bhumidhari rights of the land to private entities for pecuniary benefits," said an official source. Currently under the jurisdiction of the Centre, evacuee properties actually belonged to people who went to Pakistan during partition. Such properties are located in Delhi in large numbers in the Walled City, Shahdara and outer Delhi.

Private farmhouses were coming up on the land parcels along the Yamuna. "The private entities who got the land registered in their names deal in real estate. The market price of this land runs into hundreds of crores," said an official.

"The move reflects the LG's commitment to zero tolerance to corruption and ensuring probity in the functioning of the government," a source said.

Earlier, the LG had suspended two DDA assistant engineers after finding lapses in the construction of EWS flats at Kalkaji Extension.

हिन्दुस्तान

नरेला में राजधानी की चौथी जेल बनेगी, जमीन सौंपी

विवाद खत्म

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली की तिहाड़ जेल में अब कैदियों की संख्या को कम किया जा सकेगा, क्योंकि राजधारी के नरेला में चौथी जेल बनने जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर चला आ रहा विवाद भी खत्म हो गया है और प्राधिकरण ने नरेला स्थित 1.6 लाख स्क्वायर मीटर जमीन जेल विभाग को सौंप दी है। अब जल्द ही जेल विभाग यहां जेल बनाने का काम शुरू करेगा।

नई जेल बनने के बाद दिल्ली की तीन जेलों में बंद क्षमता से अधिक कैदियों को नरेला में स्थानांतरित किया जा सकेगा। ज्ञात हो कि दिल्ली में वर्तमान में मौजूद तीन जेलों में 30 मई तक 19,691 कैदी बंद थे। जबकि तीनों जेलों को मिलाकर यहां 10 हजार 26 कैदी रखने की क्षमता है।

लंबे समय से प्रस्तावित जमीन मिली : दिल्ली में वर्तमान में तीन जेल तिहाड़, मंडोली और रोहिणी हैं। यहां क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है। लंबे समय से चली आ रही समस्या को देखते हुए जेल विभाग ने एक अन्य जेल बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत नरेला में जिला जेल बनाई जानी थी। लेकिन जेल विभाग के सामने जमीन न होने की समस्या आ रही थी। ऐसे में जेल विभाग ने डीडीए से 1.6 लाख स्क्वायर मीटर जमीन की मांग की। जमीन के लिए 2003 में जेल विभाग ने डीडीए को 7.79 करोड़ रुपये दिए थे। डीडीए ने नरेला की इस जमीन के लिए जेल विभाग से करीब 128 करोड़ रुपये की रिवाइज डिमांड रखी, जिसे जेल विभाग ने 2020 में पूरा कर दिया था। दोनों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।

डीडीए ने 15 जून को भूमि आवंटित की

सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने 8 जून को डीडीए को आदेश दिए थे कि वह नरेला में जिला जेल बनाने के लिए जेल विभाग को जमीन सौंपे और 15 जून तक उन्हें रिपोर्ट करें। डीडीए के अधिकारियों ने इस संबंध में बैठक की और 15 जून को नरेला की 1.6 लाख स्क्वायर मीटर जमीन जेल विभाग को सौंप दी है।

तिहाड़, रोहिणी, मंडोली में अधिक कैदी

वर्तमान में दिल्ली तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेलों में 10 हजार 26 कैदियों को रखने की क्षमता है। यहां तीनों जेलों में 30 मई को 19,691 कैदी बंद थे। नौ जेलों वाली तिहाड़ जेल में 5200 कैदियों को रखने की क्षमता है। लेकिन यहां 13,283 कैदी बंद हैं। इसी तरह 1050 कैदियों की क्षमता वाली रोहिणी जेल में 2067 कैदी बंद हैं, जबकि 3,776 कैदियों की क्षमता वाली मंडोली जेल में 4,341 कैदी बंद हैं।